न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या–113/2022 अंतर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No.)

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर

अनवानः
सोहनसिंह पुत्र श्रीजसवन्तसिंह जाति राजपुत उम्र 59 वर्ष पेशा खेतीकास्त निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

बनाम

1. भारतसिंह पुत्र सावंत सिंह माता भंवरी जाति राजपुत निवासी गांव बम्बलु तहसील व जिला बीकानेर।
2. लिक्ष्मणसिंह पुत्र सावंत सिंह माता भंवरी जाति राजपुत निवासी गांव बम्बलु तहसील व जिला बीकानेर।
3. छगनसिंह पुत्र सावंत सिंह माता भंवरी जाति राजपुत निवासी गांव बम्बलु तहसील व जिला बीकानेर।
4. तुलछाकंवर पुत्र सावंत सिंह माता भंवरी जाति राजपुत निवासी गांव बम्बलु तहसील व जिला बीकानेर।
5. स्टैट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये पैरोकाराज।
6. किशनसिंह पुत्र भीया जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. किशनी पुत्री दुला जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. कोयली पुत्री दुला जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. चन्दुकंवर पत्नि सोहनसिंह जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेरं
10. जगमालसिंह पुत्र कुम्भसिंह जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. जीवणसिंह पुत्र कुम्भसिंह जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. नैनुदेवी पत्नि स्वर्गीय कुम्भसिंह जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
13. मोहनसिंह पुत्र भीया जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
14. रूखमा पुत्री भीया जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
15. शेरसिंह पुत्र कुम्भसिंह जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
16. सम्पतसिंह पुत्र कुम्भसिंह जाति राजपुत निवासी गांव सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

07.09.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। यह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोलायत के आदेश दिनांक 14.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रथमतः अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर हो।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि गांव सियाणा जोधासर के पुराना खसरा नं. 20 वर्तमान खसरा नं. 29 तादादी 111.02 बीघा अर्थात 28.10 हैक्टर व पुराना खसरा नं. 21 वर्तमान खसरा नं. 30 तादादी 51.04 बीघा अर्थात 12.92 हैक्टर कुल भूमि 162.6 बीघा जसवन्ता, दुला, कुम्भा, भींया, पिसरान राजू के नाम दर्ज हैं। ग्राम पंचायत सियाणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 140 के अनुसार जसवन्ता उर्फ जसवन्तसिंह का 1/4 हिस्सा है। जसवन्ता उर्फ जसवन्त का स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान अपीलांट व दो पुत्रियां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की माता भंवरी व अणची हुई। तीन वारिसान होने के कारण 1/3 हिस्सा अपीलांट का है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हाने के कारण नामान्तरकरण संख्या 140 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत में पेश की गई थीं, उक्त अपील में उपखण्ड अधिकारी ने अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज कर दी। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय निर्णय दिनांक 14.07.2022 से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट अपने ताउ जसवन्ता के गोद गया हुआ था क्योकि उनके कोई पुत्र नहीं था तथा अपीलांट के कागजात मुल निवासी, राशनकार्ड तथा आधारकार्ड व पैनकार्ड इत्यादि दस्तावेजों में अपीलांट के पिता का नाम जसवन्ता उर्फ जसवन्त सिंह ही दर्ज है। अपीलांट अपने वास्तविक पिता भीया से विरासतन जो भूमि मिली वह अपने भाईयों के हक में जरिये रिलिज डीड अपना हक त्याग दिया था। अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है। मौके पर पक्का मकान व कुण्ड बना रखा है आदेश जैर अपील की पालना मे अपीलांट को मौके से बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अपीलांट की अपील मंजूर फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 14.07.2022 व ग्राम पंचायत सियाणा जोधासर के इन्तकाल संख्या 140 दिनांक 16.12.1988 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स/केवियटर ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट सोहनसिंह ने अपने पिता भीया के देहान्त हाने पर नामान्तरकरण सं. 140 से विरासतन भूमि प्राप्त की तथा बाद में उक्त भूमि अपने भाईयों के पक्ष मे रिलिज कर दी जिसका नामान्तरकरण सं. 82 दिनांक 21.03.2016 को स्वीकृत हुआ है अपीलांट अपनी विरासतन भूमि अपने भाईयों के पक्ष में रिलिज करने के उपरान्त अब अपने आपको जसवन्तसिंह का पुत्र बता कर अपील पेश कर रहा है। अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से निष्पादित गोदनामा पेश नहीं किया है केवल मात्र अपने दस्तावेजों में परिवर्तन करवा कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की भूमि को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अपीलांट ने अपने आपको जसवन्ता का पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण सं 140 दिनांक 16.12.1988 के विरूद्ध अपील की है जो लगभग 33 साल बाद पेश होने के कारण मियाद बाहर है। अतः उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। कि वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नं. 20 वर्तमान खसरा नं. 29 तादादी 111.02 बीघा अर्थात 28.10 हैक्टर व पुराना खसरा नं. 21 वर्तमान खसरा नं. 30 तादादी 51.04 बीघा अर्थात 12.92 हैक्टर कुल 162.6 बीघा भूमि गांव सियाणा जोधासर के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत का अपीलाधीन दिनांक 14.07.2022 उचित प्रतीत होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2022 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

संभागीय आयुक्त बीकानेर